ऑन लाईन नं. GCMS 2020/00110

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 22/2020

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

वनाम

1. श्री अश्वनी पुत्र श्री प्रेम कुमार गोयल —नमूना विक्रेता—
   फर्म— मैसर्स गोयल एजेंसी, न्यू सब्जी मंडी, बस स्टेण्ड के पास, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी— मकान नं 85, वार्ड नं. 12, आदर्श कॉलोनी, शिव वाटिका पार्क, सादुलशहर
2. राकेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार गोयल —मालिक—
   फर्म— मैसर्स गोयल एजेंसी, न्यू सब्जी मंडी, बस स्टेण्ड के पास, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी— मकान नं 85, वार्ड नं. 12, आदर्श कॉलोनी, शिव वाटिका पार्क, सादुलशहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51,52

निर्णय

दिनांक : 09.01.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05. 2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.11..2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे श्री प्रवीन खत्री, वरिष्ठ सहायक (UDC) हाल कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के साथ वास्ते निरीक्षण **मैसर्स गोयल एजेंसी, न्यू सब्जी मंडी, बस स्टेण्ड के पास, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर** पर पहुंचे, वहाँ पर अश्वनी पुत्र श्री प्रेम कुमार गोयल उम्र–42 वर्ष उपस्थित मिला जिसने स्वयं को उक्त फर्म में विक्रेता बताया। उपस्थित को अपना परिचय देकर एजेंसी का निरीक्षण किया तो उपरोक्त फर्म की एक अलमारी में 185 ग्राम के 35 सील्ड पोलीथीन पाउच, प्रत्येक सील्ड पोलीथीन पाउच में 24 छोटे पाउच, आम मोदक (Churan Tablets) रखे पाये गए जिन्हें विक्रेता ने आम जन को विक्रय हेतु रख बताया। इसमें मिलावट का शक होने पर शुद्धता की जांच हेतु नमूना संख्या के–1007 के नमूनीकरण की सूचनार्थ विक्रेता को फार्म नं. 5 ए की एक प्रति प्रदान कर विक्रेता को बताया कि आम मोदक (Churan Tablets) का यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नं० 5 ए पर नमूना विक्रेता **अश्वनी पुत्र श्री प्रेम कुमार गोयल** एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किए एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किए। फार्म नं. 5 ए की प्रति इस्तगासा के साथ संलग्न है।

मौके पर रखे आम मोदक ((Churan Tablets) का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत नियमानुसार एवं विधिपूर्वक नमूनीकरण करने के लिए 185

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम के 12 सील्ड पोलीथीन पाउच आम मोदक (Churan Tablets) के नमूना संख्या के-1007 के लिऐ खरीदा जिसकी कीमत 140 रुपये (एक सौ चालीस रुपये मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री रामकुमार एवं प्रवीन खत्री तथा आवेदक के हस्ताक्षर हैं। रसीद मालखरीद सलंग्न इस्तगासा है।

खरीदशुदा 185 ग्राम के 12 सील्ड पोलीथीन पाउच आम मोदक (Churan Tablets) को 3-3 के समूह में चार नमूना भाग बनाए जिन पर, अलग अलग, खाद्य नमूना कोड का अनुक्रमांक के-1007 एवं अन्य विवरण युक्त लेवल चिपकाया और इन पर आम मोदक (Churan Tablets) के विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवा कर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किए। लेबल शुदा प्रत्येक नमूना भाग को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर, कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी श्रीगंगानगर की हस्ताक्षर शुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक के-1007 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह मोहर व चपड़ी किया और ऊपर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाए व नमूने का विवरण लिखकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किए। इसके पश्चात चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया।

इस समस्त कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़ाकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा। विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर इस फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने भी हस्ताक्षर किए। मौका फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आफिस पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की एवं प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया गया था एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आऊटर कवर में सील मोहर कर जांच हेतु मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराया। फार्म सं. 6 की दो प्रति अलग से लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मुहर कर मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराया, जिसमें एक फार्म नं0 6 की पुस्त पर नमूना सील करने की मोहर को मिलान करने की रसीद प्राप्त की जो इस्तगासा के साथ सलंग्न है। साथ ही सील्ड नमूना उपरोक्त प्रयोगशाला में जमा कराने की रसीद भी प्राप्त की जो संलग्न परिवाद है।

शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बदं कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा कराया एंव रसीद प्राप्त की तथा नमूने के चौथे सीलबंद भाग को नमूना विक्रेता को यह बताकर कि वह चाहे तो इस भाग की जांच किसी अधिसूचित NABL प्रयोगशाला से जांच करवा सकता है परंतु उसने अधिसूचित NABL प्रयोगशाला से जांच करवाने की कोई मंशा जाहिर नही की। अतः सील्ड चपड़ी किये हुए नमूने के चौथे भाग को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ आउटर कवर में सील बन्द कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा कर रसीद प्राप्त की जो परिवाद के साथ संलग्न है।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./2969/Act/2019/2969 Dated 10.12.2019 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1007 Substandard Food &Misbranded** होना पाया गया।इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण **श्री अश्वनी पुत्र श्री प्रेम कुमार गोयल(नमूना विकेता) एवं राकेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार गोयल(मालिक), फर्म-मैसर्स गोयल एजेंसी, न्यू सब्जी मंडी, बस स्टेंड के पास, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **आम मोदक (Churan Tablets)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51,52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.09.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी मकान नं 85, वार्ड नं. 12, आदर्श कॉलोनी, शिव वाटिका पार्क, सादुलशहर जिला श्री गंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी **मैसर्स गोयल एजेंसी, न्यू सब्जी मंडी, बस स्टेंड के पास, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर** का मालिक है। प्रार्थी की दुकान में आम मोदक की जांच की गई तो आम मोदक चूर्ण substandard Food & Misbarnded Food पाया गया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया आम मोदक (Churan Tablets) का सैम्पल **K-1007** जांच रिपोर्ट क्रमांकः– L.S./2969/Act/2019/2969 Dated 10.12.2019 द्वारा **Substandard Food & Misbranded** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 52 में निर्धारित है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of Churan Tablet(Aam Modak Brand) bearing Code No. and Sr. No. K-1007 of designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is **Substandard as it does not conform to the prescribed satandards of Food Safety and Standards** (Food Products Standards and Food Aditives) Regulations 2011. The sample is also Misbranded Food under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards act, 2006 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री अश्वनी पुत्र श्री प्रेम कुमार गोयल(नमूना विकेता) एवं राकेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार गोयल(मालिक), फर्म– मैसर्स गोयल एजेंसी, न्यू सब्जी मंडी, बस स्टेंड के पास, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री अश्वनी पुत्र श्री प्रेम कुमार गोयल(नमूना विकेता) एवं राकेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार गोयल(मालिक), फर्म– मैसर्स गोयल एजेंसी, न्यू सब्जी मंडी, बस स्टेंड के पास, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner